

population of cattle and buffaloes in Andhra Pradesh is as under:

(in thousand nos.)

(i) Cross-bred Cattle	486
(ii) Indigenous Cattle	10461
(iii) Total Cattle out of which:	10947
(a) Cows (females)	4734
(b) bulls (males)	6213
(iv) She-Bufferaloes (Females)	7801
(v) He-Bufferaloes (males)	1352
(vi) Total Bufferaloes	9153

(c) and (d) For breed improvement in animals Government has been following the policy of cross-breeding of low producing indigenous breeds of animals using Artificial Insemination and Embryo Transfer Technology. The Government of India has been providing assistance to the State Governments under the two schemes viz., Extension of Frozen Semen Technology and Progeny Testing Programme and National Bull Production Programme for this purpose. The amount of assistance provided to Andhra Pradesh for breed improvement under Extension of Frozen Semen Technology and Progeny Testing Programme is Rs. 73.89 lakhs during the period 1992-93 to 1995-96. No proposal has been received from State Government under the National Bull Production Programme during the last four years of the 8th Plan.

दुधार पशुओं को घटिया किस्म का खनिज आहार दिया जाना

2908. श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुधार पशुओं को अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु घटिया किस्म का डाइकैल्सियमफॉस्फेट नामक खनिज, जिसमें भारी धातु, सिलिका, आर्सेनिक इत्यादि शामिल हैं, आहार में दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खनिजों के सेवन से पशुओं में "मैड काउ डिजोज़" जैसी घातक बीमारियाँ

पैदा हो सकती हैं; जो विदेशों में पहले से ही भयानक रूप से फैल चुकी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकार के खनिजों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) डाइकैल्सियमफॉस्फेट जो पशुधन के आहार के लिए खनिज मिश्रण के मिलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अवयव है, में भारी धातु, सिलिका तथा आर्सेनिक आदि शामिल नहीं होते हैं।

(ख) घटिया किस्म के खनिज मिश्रण के सेवन से "मैड काउ" रोग पैदा नहीं होता। डाइकैल्सियमफॉस्फेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्ट मानदंड हैं जिससे उचित गुणवत्ता नियंत्रण का पता लगाने में सहायता मिलती है।

(ग) उक्त भाग (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मवेशियों के लिए चारे तथा औषधियों के उत्पादन के नियंत्रण तथा विनियमन के संबंध में कानून

2909. श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में मवेशियों के लिए चारे तथा औषधियों के उत्पादन के नियंत्रण तथा विनियमन संबंधी कोई कानून नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि ऐसे किसी कानून के अभाव में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुधार पशुओं हेतु घटिया किस्म की दवाएं बाजार में घड़ल्ले से बेची जा रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी. नहीं। गोपशुओं के लिए औषधियों का उत्पादन तथा बिक्री की औषधि तथा कास्मेटिक अधिनियम, 1940 तथा संगत विनियमों तथा औषधि और कास्मेटिक निस्मावली, 1945, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 द्वारा